



जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया,
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia,

पत्राक- जे0एन0सी0यू0/आर0कैम्प (सा0प्र0)/कु0/वि0वि0/451/2018

दिनांक: 05 दिसम्बर, 2018


कार्यालय आदेश

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया से सम्बद्ध निम्नलिखित विवेकानन्द महाविद्यालय, सेमरी, बलिया एवं 24 अन्य महाविद्यालयों द्वारा माननीय उच्च न्यायलय इलाहाबाद में याचिका संख्या: 39170/2018, योजित की गयी:-

1. विवेकानन्द महाविद्यालय, सेमरी, बलिया
2. मु0 शहबान मेमोरियल पी0 जी0 कालेज, नगरा, बलिया
3. डॉ0 राममनोहर लोहिया सुबेदार पी0 जी0 कालेज, हब्सापुर, बलिया
4. इश्तेयाक अहमद मेमोरियल महाविद्यालय, पीपरौली बड़ागांव बेल्थरारोड, बलिया
5. चन्द्रदीप सिंह स्मारक महाविद्यालय, राधवपुर रसड़ा, बलिया
6. श्रीमती फुलेहरा स्मारक महाविद्यालय पी0 जी0 कालेज, कमतैला रसड़ा बलिया
7. ललिता सिंह इल्स्टीयूट आफ हायर एजुकेशन, कुशहा ब्राहमण, बलिया
8. फतेहबहादुर सिंह शिव शंकर सिंह महाविद्यालय, ससना बहादुर पुर, बेल्थरा रोड बलिया
9. स्व0 केशव प्रसाद पी0 जी0 कालेज, ससना बहादुर पुर, बेल्थरा रोड बलिया
10. डी0 एस0 मॉ मालती महाविद्यालय तेन्दुआ बधुडी, बलिया
11. रमाशंकर महाविद्यालय, कुशहा रसिद पुर, बलिया
12. पं0 श्री निवास महाविद्यालय, पाण्डेयपुर नगरा, बलिया
13. कुबेर पी0 जी0 कालेज, जजौली नं0-2 भीमपुरा, बलिया
14. तिलेश्वरी देवी महाविद्यालय, गौरा पतोई, बलिया
15. कन्हैया स्मारक महाविद्यालय, कुशहा भीमपुरा, बलिया
16. मु0 शहबान मेमोरियल महिला महाविद्यालय, नमरा बलिया
17. मुस्तरी मेमोरियल महिला महाविद्यालय, तिरनई खीरजीपुर, बलिया
18. रामध्यान महाविद्यालय, जोगापुर गडवार, बलिया
19. तमन्ना बेगम महिला महाविद्यालय, तिरनई खीरजीपुर, बलिया
20. बाबा चन्द्रशेखर केशव महाविद्यालय, रसड़ा, बलिया
21. महर्षि गालू गंगा सागर महाविद्यालय, शाहपुर, रसड़ा, बलिया
22. ब्रह्मदेव सुशीला महिला महाविद्यालय, मुहम्मदपुर, बलिया
23. श्री नाथबाबा जंगली बाबा महाविद्यालय जाम, बलिया
24. महाराजा सूहेलदेव महिला महाविद्यालय, गाजीपुर सेमरी, बलिया
25. शिवराज स्मारक पी0 जी0 कालेज, रामपुर, बलिया


उक्त याचिका में पारित निर्णय दिनांक: 30.11.2018 के समादर में तथा विवेकानन्द महाविद्यालय सेमरी, बलिया के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक: 03.12.2018 के क्रम में माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय के प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा शुल्क से सम्बन्धित कार्यालय आदेश दिनांक: 24.04.2018 के क्रियान्वयन को एतद्वारा स्थगित किया जाता है। याची महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के समादर में उक्त वर्णित 24.04.2018 के कार्यालय आदेश द्वारा उल्लेखित शुल्क वृद्धि के इतर अन्य शुल्कों का चालान जनरेट करते हुए दिनांक: 12.12.2018 तक अनिवार्यतः विश्वविद्यालय के खाते में प्रवेशित छात्रों का शुल्क जमा करना सुनिश्चित करें।

उक्त शुल्क के स्थगन सम्बन्धित आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।


~~उप कुलसचिव~~
कृतै कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्ड पीठ, इलाहाबाद को सादर सूचनार्थ।
2. माननीय कुलपति जी को सादर संज्ञानार्थ।
3. वित्त अधिकारी।
4. प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या, उपर्युक्त वर्णित 25 याची महाविद्यालयों के लाग-इन पर अनुपालनार्थ।
5. प्रभारी बेवसाइट को इस निर्देश के साथ की इसे विश्वविद्यालय बेवसाइट पर अपलोड करें तथा सम्बन्धित महाविद्यालयों के परीक्षा फार्म भरवाकर उनका शुल्क तदनुसार जनरेट करे तथा उनके लाग-इन पर भी अपलोड करें।
6. गार्ड फाईल।


~~उप कुलसचिव~~
कृतै कुलसचिव